क्रम संख्या–39

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2009–11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 31 मार्च, 2011 ई0

चैत्र 10, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 124/XXXVI(3)/2010/08(1)/2011

देहरादून, 31 मार्च, 2011

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित "हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) (संशोधन) विधेयक, 2011" पर दिनांक 29 मार्च, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2011 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) (संशोधन) अधिनियम, 2011

(अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2011)

हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 में अग्रत्तर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

"उत्तरांचल" के स्थान पर "उत्तराखण्ड" तथा "हिमगिरी नम विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई)" के स्थान पर "हिमगिरी जी विश्वविद्यालय" पढ़ा जाना

2–हिमगिरी नम विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) अधिनियम, 2003 (अधिनियम संख्या 17, वर्ष 2003) में जहाँ–जहाँ शब्द "उत्तरांचल" आया है, वहाँ–वहाँ वह शब्द "उत्तराखण्ड" तथा जहाँ–जहाँ शब्द "हिमगिरी नम विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई)" आया है, वहाँ–वहाँ वह शब्द "हिमगिरी जी विश्वविद्यालय" रख दिये जायेंगे।

आज्ञा से,
राम सिंह,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **"The Himgiri Nabh Vishwavidyalaya (University in the Sky) (Amendment) Act, 2011"** (Adhiniyam Sankhya 03 of 2011):

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on March 29, 2011.

No. 124/XXXVI(3)/2010/08(1)/2011
Dated Dehradun, March 31, 2011

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE HIMGIRI NABH VISHWAVIDYALAYA (UNIVERSITY IN THE SKY) (AMENDMENT) ACT, 2011

(ACT NO. 03 OF 2011)

Further to amend The Himgiri Nabh Vishwavidyalaya (University in the Sky) Act, 2003

AN

Act

Be it enacted by the Legislative Assembly in the Sixty-second year of the Republic of India as follows:--

Short title and Commencement

1. (1) This Act may be called The Himgiri Nabh Vishwavidyalaya (University in the Sky) (Amendment) Act, 2011

(2) It shall come into force at once.

The words instead of "Uttaranchal" shall be read as "Uttarakhand" and the words "Himgiri Nabh Vishwavidyalaya (University in the Sky)" shall be read as "Himgiri Zee University"

2. In the Himgiri Nabh Vishwavidyalaya (University in the Sky) Act, 2003 (Act No. 17 of 2003), wherever the word occurs "Uttaranchal" shall be read as "Uttarakhand" and the words occurs "Himgiri Nabh Vishwavidyalaya (University in the Sky)" shall be read as "Himgiri Zee University".

By Order,

RAM SINGH,

Principal Secretary.

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 07 विधायी / 143–2011–100+500 (कम्प्यूटर / रीजियो)।